3.00 P.M.

उठानी पड़ती है, को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करके उन्हें संरक्षण प्रदान करने तथा राज्य द्वारा उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने, उनकी ऋणग्रस्तता समाप्त किए जाने, उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने जैसे कल्याणकारी उपायों और तत्संगत अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री बनवारी लाल कंछल: मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———————

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2008

DR. EJAZ ALI (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

The question was put and the motion was adopted.

DR. EJAZ ALI: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ramdas Agarwal will continue.

———————

The Science and Engineering Research Board Bill, 2008 – *contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now I think Shri Agarwalji was speaking. Would you like to continue?

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारी projects में delay होती है, उनके कार्यपालन में problem आती है और वह bureaucratic होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मि. सी. एन. राव ने, जो Prime Minister साहब के Advisory Council के head हैं, वर्ष 2005 में यह सिफारिश की थी कि इस प्रकार का एक बोर्ड बने, पर आज लगभग साढ़े तीन साल पूरे होने पर यह बिल प्रस्तुत किया गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल बिल को लाने में इतना लंबा समय लगा, जब कि उन्हीं के एक Head of Advisory Council ने यह सलाह दी कि इसको तत्काल लगाया जाए। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हम बोलते क्या हैं और होता क्या है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि अभी बिल में जो प्रस्ताव है, उसमें भी बोर्ड का Chairman एक bureaucrat को ही बनाया जाएगा, जब कि खुद मि. राव ने जो कहा है, मैं उसे यहां quote करना चाहता हूं, "Even though the foundation is likely to have bureaucrats, an organisation managed mainly by scientists will be far more efficient than the present administrative structure." हम फिर इस बोर्ड को क्या उसी धारा में डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा projects में विलंब होता है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं, चूंकि मैने पहले भी कहा है कि अनुसंधान का क्षेत्र अनंत है और जैसे ब्रह्माण्ड अनंत है, आकाश अनंत है, भगवान की माया अनंत है, वैसे ही अनुसंधान का क्षेत्र भी बहुत विराट-विराट है। उसकी सीमाएं तय करना मुश्किल है। जो दुनिया की एक हजार कंपनियां अनुसंधान के क्षेत्र में वर्ष 2007 में 492 बिलियन डॉलर खर्च कर चुकी हैं, उनके मुकाबले में हमारे देश में हमारी कंपनियां कितना काम कर पाएंगी, यह हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों में हम कितना काम कर पाएंगे, यह एक प्रश्नचिन्ह हमारे सामने शंका के रूप में खड़ा होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ा है, अब वह कहां तक सच है, इस बात को वही confirm कर सकते हैं, "The biggest funder of basic Science Research in India is the Science and Engineering Reseach Council, a Department of Science Ministry that has a budget of Rs. 300 crores, apporximately, but, on an average it has spent only 20 per cent of the amount."

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इस बोर्ड की भी यही स्थिति बनी रहेगी, तो फिर हम ये सारे provisions करने के बाद भी क्या achieve करने वाले हैं, क्या प्राप्त कर सकेंगे, ये शंकाएं हम लोगों के दिमाग में आनी स्वाभाविक है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जब हम इन सारे कामों को करने के लिए योजना बना रहे हैं, तो मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव होगा कि चूंकि आप इस बहुत महत्वपूर्ण बिल को ला रहे हैं, आपने तीन साल लेट क्यों किया, अगर आप इसको तीन साल पहले लाते, तो शायद इसका implementation आपके समय में हो पाता। अब तो यह बिल आखिरी समय में आया है, आखिरी साल में आया है और सरकार के आखिरी दिन में आया है। इतना विलंब होने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता है। जब सरकार स्वयं, प्रधान मंत्री जी के advisor स्वयं और स्वयं माननीय मंत्री जी, जो कि बहुत योग्य और सक्षम हैं, अनुभव करते हैं कि यह काम होना चाहिए था, तो उसके पीछे मैं समझता हूं कि इतना विलंब करना देश की प्रगति में किसी न किसी प्रकार की अड़चन डालने वाला काम है। जो हम उचित समझते हैं, उसको भी हम समय पर लागू नहीं कर पाते हैं। यही एक ऐसी व्यवस्था हमारे देश में बन गई है, जिसके कारण हमारी प्रगति में बहुत उलझनें और बहुत अड़चनें खड़ी हुई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो बोर्ड बनाने का फैसला किया है, उसमें bureaucratic level को कम कीजिए। इसको फिर से scientists को दीजिए। हमारे सदन में भी कई माननीय सदस्य scientists के रूप में आए हैं। हमारे कस्तूरीरंगन साहब हैं, पहले मेनन साहब थे, उसके पहले राजा रमन्ना साहब थे, ये सब scientists वाली उपलब्धि रखते हैं। जब वे सदन में आकर मैम्बर बन सकते हैं, तो वे क्यों नहीं इस प्रकार के बोर्डों का संचालन कर सकते हैं? क्यों हम हमेशा केवल ब्यूरोक्रेटिक जाल और जकड़ में ही फंसना चाहते हैं? मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस बोर्ड को भी, जो एक ऐतिहासिक बोर्ड बन सकता है, हमारे देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, उनकी बुद्धिमता का उपयोग करने का केंद्र बन सकता है, ऐसे बोर्ड को भी हम फिर से ब्यूरोक्रेटिक चैनल में डाल देंगे, तो उससे लाभ नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी शुभकामना है कि यह सरकार इस बिल को पारित कर रही है, करे और जल्दी से जल्दी लागू करे, क्योंकि उनके पास भी अब समय बहुत कम बचा है। इनके ही काल में यह लागू हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि सरकार की उपलब्धि में शायद एक प्वाइंट और जुड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Sir, I stand to support the Science and Engineering Research Board Bill, 2008, as moved by the hon. Minister, Shri Kapil Sibal.

Sir, I think this is a great landmark for the UPA Government. I congratulate the hon. Minister, the hon. Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi for the promises that the UPA Government has made for *aam aadmi* and this is one of the milestones towards that achievement.

Sir, ours is a great country and I think the whole House will agree with me. We have such a wide diversity. Sir, the greatest boon we have, which the Nature has given, which the Universe has given,

which the God has given to us, is the Sunshine. India is one of the most fortunate countries in the world to have almost about 360 days of Sunshine. Sir, there are countries which die for Sunshine. This is a great energy that we have, and, with this, the whole Universe moves, the whole society moves and all the living things are surviving on this.

Any country's development, as the hon. Minister has said while moving the Bill, depends on the knowledge that it develops. I applaud the efforts made by the hon. Minister. But as the previous speaker, my elder brother, Shri Ramdas Agarwal, has said – he has also covered most of the points – what we really require is the basic fundamentals. We have to, I think, start from the basics. If we have to make our country strong, we need a good education base. Unless we have a strong education base, I don't think, we will be able to produce the kind of quality of manpower we intend to produce and we aspire to produce. India was called "सोने की चिड़िया". अगर हम अपने देश में देखें या पूरे विश्व में देखें, तो उसमें कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा, जहां इतनी bio-diversity मिलेगी। हमारे देश में अगर आप कोई फल ले लें, अगर आप आम राय लें, तो विश्व का सबसे बढ़िया आम, King of Mangoes, Alphonso, are grown in our country. अगर आप चावल ले लें, तो पूरे विश्व को बेहतरीन चावल, best चावल - बासमती चावल आपको हमारे देश में मिलेगा। आपको ज़ाफरान मिलेगी, सागवान मिलेगी। नॉर्थ से साउथ तक कितनी बड़ी diversity है। जो चीज़ आज यहां नॉर्थ में मिलती है, वह साउथ में नहीं मिलती, तो साउथ में मिलेगी, वह नॉर्थ में नहीं मिलती है। पूरे एक साल का कैलेंडर अगर आप ले लें तो एक कैलेंडर ईयर में हर प्रांत में कहीं न कहीं, कोई न कोई चीज़ हम उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आज हमारी सृष्टि ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि everybody can live happily on this Earth. There is enough room for everybody. अगर आप एक बीज बोते हैं, उस एक बीज से चार महीने में सौ बीज बन जाते हैं। आज आप एक पौधा लगाते हैं, उसमें हजारों फल लगते हैं। हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर एक बड़ा सुंदर और सुशील समाज बनाएं जिसमें हर कौम के लोग, हर तबके के लोग खुशहाल रहें। यही हम सबका प्रयास है। उस खुशहाली के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वह है, रिसर्च और डेवलपमेंट। उस रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए ही हम वैल्यू ऐडिशन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे देश में बहुत मक्का पैदा होती है - खासकर हमारे आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के प्रान्त में। वह मक्का पांच रुपए, छः रुपए या सात रुपए के भाव में बिकता है। The maize is sold at Rs. six to eight per kg. When the same maize is made into cornflakes that we get in aircrafts while travelling, a packet of 20 grams of cornflakes is priced at six rupees. You can imagine the value addition that we do. इसी प्रकार पचास रुपए किलो के हिसाब से कपास बिकता है, लेकिन एक Mark & Spencer का शर्ट आपको डेढ़ हजार रुपए, दो हज़ार रुपए में मिलेगा। उसका वज़न डेढ़ सौ ग्राम भी नहीं होता है। That is value addition chain and where we stand in that value addition chain is most important. एक ज़माना था जब विश्व के व्यापार में भारत की भागीदारी 26 प्रतिशत हुआ करती थी। यह हमारे प्रधान मंत्री जी ने कोट किया है। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि अगर हिन्दुस्तान पर राज करना है तो हिन्दुस्तानियों की सोच को बदलो। उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया है, मुझे कहीं भी एक भी भिखारी नहीं मिला - उस ज़माने में। हमारी इतनी विशाल परम्परा रही है, इतना विशाल समाज रहा है। रामदास जी ने इसके बारे में बताया, उन्होंने हमारे ऋषि-मुनियों को कोट किया। हमने जो रिसर्च हजारों साल पहले किया है, वह बहुत ही अनन्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पूरे विश्व को दिया है, चाहे वह astronomy हो, चाहे science हो। Our nation has the second largest

arable land in the world. Our country has the second largest population in the world. We have the wealth of human resources. What do we not have with us? We have everything, but what we need is a common will, the determination, to achieve what we all want to achieve. And that can only be achieved through proper research and development, value addition, industrial progress and a healthy society. I congratulate Shri Kibal Sibal for introducing such a Bill.

Sir, we have several research institutes in the country. But, what is the mechanism to monitor those institutes? I come from Hyderabad. We have more than 70 research institutes in Hyderabad; it is a research hub. इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वहां पर हैं, लेकिन वहां से जो रिसर्च होती है, जो चीज़ वहां से निकलती है, वह आम आदमी तक नहीं पहुंचती है। वह कहीं चोरी हो जाती है, कहीं स्मगल हो जाती है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। हम चाहे जितना प्रयास करें, जब तक हम अपने पूरे देश में इस देश को आगे जाने का माहौल नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाने का प्रण नहीं लेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई बोर्ड बनाने से इसका हल निकल सकता है। फिर भी एक नया बोर्ड लाना एक अच्छा प्रयास है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि bureaucratic procedural hurdles हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

मैं कई रिसर्च इंस्टीट्यूट में लोगों से बात करता रहा हूं और उनसे जानने की कोशिश करता रहता हूं कि उनकी क्या तकलीफें हैं। And they tell us what they need at that hour is never made available. The Report also says that it takes about one-and-half to two years to get a proposal cleared. On an average, it takes about one-and-half to two years for a researcher to get the money approved by the Government. That is unacceptable. It is said by a scientist in New Delhi, ;यह Raoji की रिपोर्ट है और वह यह भी कहते हैं कि "Reduced bureaucratic interference in clearing research product is the prime contention of everybody." But if you see this Board again, all the Board members are Secretaries. Secretary to the Government of India, Department of Science, will chair it and Member-Secretary, Planning Commission, is one of the Board members, सर, इसमें पेज नंबर 37 पर जो प्रावधान है "No act or proceedings of the Board shall be invalidated merely by the reason of any vacancy or any defect in the constitution of the Board." Now, there is no mention of minimum quorum of the Board. There is a clarity what the Board will consist of and what the minimum quorum of the Board will be. If a Chairman is appointed and he doesn't appoint the Board of Directors, it will continue to function. So, a minimum quorum has to be mentioned, and I also suggest that we should involve the scientific fraternity. We have to give them money and ask them for results. Let them work with all autonomy, and also involve the industry. If you look at the developed countries, they have a lot of coordination between lab to land and between university and industry. Any research being done in any place in USA, all are linked with universities. Every university has got a research wing. Apart from that, Sir, we have a lot of research institutes spread over all over the country. But we do not have any-common pool. Instead of again establishing a new set-up, we should harness all our resources and make it a common facility, wherein those researchers who want to do some research work will go there and do the research and come out with good results. So, things like common facilities for researchers, a common research institute and pooling of our resources are essential. I came across a gentleman, Mr. Gupta, from IIT, Ahmedabad. He runs a foundation of innovations. He has got more than 10,000 innovations registered with him in IIT, Ahmedabad. But he says that there is no fund to develop

them. Such simple innovations our countrymen, our rural poor have given. They have invented a spray tool in the form of a shoe, which has got a piston in it. As the man walks, it sprays. You need not operate the spraying machine. That kinds of small and useful innovations have been introduced. But when you want to put them in the large scale in the market, they need money which is not available, and that, I think, is the aim of the Bill also. But, I am afraid, if the Bill again gets into the bureaucratic cobweb and if it takes years together for sanctioning of money, I do not think we will be able to meet the challenges that we are facing and the aspirations what we have. I will just give you a small example here of the Global Competitiveness Index 2007-08. It makes a comparison of India, China, Japan and other countries. Overall, India is ranked 48th while China got 34th place. In global competitiveness also, India is ranking very poorly.

If you take infrastructure, India stands 67; if you take micro economic stability, India stands 108; if you take health and primary education, India stands 101; if you take efficiency enhancers, India stands 31; and, if you take quality of higher education, which is so crucial for our economy, India stands 55. These are the indicators where we all have to work and see that in global competitiveness, we stand as close as possible to number one position, if not number one. Sir, hon. Minister has also mentioned about Science and Engineering Research Council which is already functioning. I would also like to know from him as to what difference this new structure would make. Will it be just a body that will enable the researchers to grant funds or will this body go into the requirements? All the research today has to be need based and India has to be very-very specific. We cannot be jack of all trades and master of none. We have to select certain priority areas and then concentrate on those areas. I think, most important areas are energy, communication, infrastructure and raw materials that we have within our country. We have to convert raw materials into value added products. In all these areas, if we can have some good research work done, I think, that will be very useful, and I congratulate the hon. Minister and support this Bill.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, I welcome the Science and Engineering Research Board Bill, 2008. Though briefly, the hon. Minister has explained the salient features and the major intentions behind it. It is an agreeable thing that as a country, we have to go a long way from the point where we are now. Hon. Minister rightly said that in a growing knowledge society, our country has immense talent, and the demographic advantage is also there. But, at the first sight, when compared with the world standards, and specifically the experiences and achievements of various countries, we are lagging behind. This is a very unhappy situation. Now, we have an organisation, that is, Science and Engineering Research Council. This is a Council. We are now switching over to a Board. There is a definite intention to make it autonomous, to eliminate the bureaucratic hurdles and to enrich the mechanism of funding in a big way. So, for that, I think, the lapses and lacunae prevailing, at present, have to be listed. I think, a large number of our institutions, at present, are not in the framework of this support mechanism, which is uneven and inadequate system in that fashion. While switching over to a Board, I think, our research has to be a directed research for problem-oriented subjects. Over the years, the main shortcoming was that this area was heavily underdeveloped. Our achievements are mainly in disciplinary research. We have had some achievements. I agree. But, in a country, basically, the need-based, problem-oriented research is to

be promoted. While looking at the weaknesses prevailing now, I think, the first one is that only a few select institutions have been benefited and a large majority has not been able to get support for research from the SERC. I hope the new change and this enactment will do a better service to rectify this error. While looking at the composition of the Board, I find some major weaknesses in this. It is dominated with Secretaries. It is contradictory to the Minister's statement that bureaucratic hurdle is a major problem which is now troubling us. If this body is going to be filled mainly with the Secretaries, how can we achieve that target? I think, the hon. Minister will explain this point. In the preamble, 'basic research' has been put in very prominently. What is this 'basic'? There is no definition anywhere. According to me, this word is not necessary at all. Let us give maximum scope of research in science and engineering. I have not seen the word 'basic' in such documentations of other countries. If it is there, I would stand corrected. To me, the word 'basic' is not necessary.

Another point is relating to the project selection. There are no specific guidelines. If it can be brought in within the ambit of this enactment, it would be a good measure. While I am saying that – with a definite intent, I am saying a kind of academic feudalism is also working. What is the way to eliminate that element? The selection process should be in a set pattern with transparency.

Another point, which I would like to make, is that if the monitoring and evaluation process goes on in a usual manner, there is no scope for any substantive change. So, in practice, only through accountability, we can ensure that. If we are doing it, we are doing service to the country by substantial value addition to this entire regime.

Now, I come to some of my specific suggestions. Firstly, as I said earlier, amend the preamble, drop the adjective 'basic', and keep the scope of research as is there in science and engineering. Secondly, in chapter II, amend the composition. Instead of one-tier system now suggested, I would suggest a two-tier system. The Board, as prescribed, should be limited to the function of steering, directing and coordinating. The second-tier would be manned by practising scientists, not even by the retired scientists. I feel, maybe, our salaried scientists have a limitation with regard to the question of incentives, material incentives. To overcome that problem, I think, a reasonable sharing of the benefits or the achievements in monetary terms can also be put in. In very many countries, it is available. While confining to the salaried scientists, and, by giving them incentives, this element can be added, which is available in very many countries. I think, at this point of time, we should think about it. And, Sir, the second-tier is actually to be entrusted with the responsibility of planning, monitoring and evaluation.

Now, I come to my third suggestion. There is no representative of the UGC in this composition of the Board. Universities and affiliated colleges are a major area where we can pool our talent and we can identify our talent. UGC is doing this job now, and, getting representative of the UGC, possibly, its Chairperson, to this Board is a major thing which can be thought of. In the third suggestion itself, I would like to add that it should be made more 'representative' in the sense that the heads of the Departments of Science and Technology of all the States should possibly be included to give it a federal look.

We can't confine to certain urban areas at all. Then, the country should be mobilised for the purpose of getting talents. So, all the States should be represented in the Board to make it federal, to make it representative in nature including States' science and technology heads or a meaningful representative. Our Constitution, as everybody knows, demands that all the States are allowed to get an equal opportunity for building capacity and doing research.

Sir, my fourth suggestion is, in the second tier, the responsibility of programme level planning, monitoring and evaluation should be manned by practising scientists and technologists and other relevant stakeholders.

My fifth suggestion is to ensure transparency and accountability. We should provide for a transparent mechanism of request for comments and then use executive processes for project selection and programme planning. For that purpose, let the system be online. That will make it more transparent. And, for registration of research, if it is online and if you are asking for comments, any expert, who desires to give some suggestion, can put it. That way we can pool the available wisdom of the country to a definite research work. To this purpose, I think, a new chapter can also be added. One 'Oversight' mechanism suggestion is already there. It should not only be 'Oversight'. I think, planning, monitoring, evaluation and accountability are to be taken into account in such a chapter that will do a good service to this kind of enactment.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Pillai, your time is over.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: Permit me for one more sentence, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Yes, please. But, you are making a very good speech.

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: In this chapter we can lay down the framework of transparency and social accountability explicitly. As the Chair is suggesting, I am concluding. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You were really making a good speech. I really did not want you to conclude. But, you know, there is time constraint. You were making very good suggestions. I never knew that you were so knowledgeable science researcher. Now Shri Brij Bhushan Tiwari.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह जो "विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008" पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस विधेयक को पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने इसका कारण बताया कि इस समय विज्ञान और इंजीनियरिंग में हमारा जो बुनियादी अनुसंधान है, बेसिक रिसर्च है, उसमें सबसे ज्यादा रोड़ा नौकरशाही का है। हम इसे लालफीताशाही से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि शोध के जो विभिन्न संगठन थे, और विभिन्न विभागों से सम्बन्धित थे, अनुभव के बाद यह बात समझ में आई कि फाइलों के या शब्दों के जाल में फंसने के कारण समय रहते निर्णय नहीं हो पाता। इस कारण हमारे अनुसंधान का जो काम है, वह जितना आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाता। इस कारण हमारे अनुसंधान का जो काम है, वह जितना आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाता। जब मैं यह विधेयक पढ़ रहा था, तो मुझे पढ़ने में यह लगा कि यह सरकार और हमारे मंत्री जी जिस नौकरशाही से इस अनुसंधान के क्षेत्र को मुक्त करना चाहते थे, परन्तु जो

विधेयक और बोर्ड का ढांचा बना, यह उसी नौकरशाही के प्रभुत्व में फंसा हुआ है। अभी माननीय अग्रवाल जी ने ठीक ही कहा कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के जो सचिव हैं, उन्हीं को इस बोर्ड का चेयरपर्सन बनाते और जो भी सम्बन्धित विभाग हैं, उनके सारे सेक्रेटरीज़ को इसका सदस्य बनाते। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप ईमानदारी से और सही तरीके से इसको नौकरशाही से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको इस सुझाव पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि सचमुच जो इस क्षेत्र में विशिष्ट लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उन पर विश्वास करिए, उन्हें सम्मानित करिए तथा उनको जिम्मेदारी देकर उन्हें जवाबदेह बनाइए। यह मेरा सुझाव है।

मान्यवर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी आपने यह कहा कि इसकी धारा 5 के अन्तर्गत एक Oversight Committee बनाई। परन्तु आप यह देखिए कि जो Oversight Committee है, उसको कोई दांत नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। वह केवल परामर्श दे सकती है, सलाह दे सकती है। उस सलाह का परामर्श का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। हमारे यहां असल में जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी सोच का तरीका है कि हमने हर मर्ज का इलाज इन्हीं नौकरशाहों को, इन्हीं अफसरों को रख रखा है, जब कि इस को हर आदमी महसूस करता है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि अगर सचमुच इस बोर्ड को स्वायत्त और स्वतंत्र होना है, तो इसमें कम-से-कम अफसरों की दखलअंदाजी होनी चाहिए। यह तो नम्बर एक हुआ। इसमें नम्बर दो बात यह है कि यह सही कहा गया कि इस समय जो बेसिक रिसर्च है, उस पर हमारे यहां बहुत कम ध्यान दिया गया। जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं कि हमारा जो जी.डी.पी. है उसका केवल 0.8 प्रतिशत हम बेसिक रिसर्च पर खर्च करते हैं और इस 0.8 प्रतिशत में भी जो 0.7 प्रतिशत है, वह पब्लिक क्षेत्र का है। पब्लिक क्षेत्र का मतलब सरकार ने किया। इस तरह ये जो हमारे कॉरपोरेट हाउसेज़ हैं या जो हमारे दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, उनकी कोई दिलचस्पी बुनियादी रिसर्च में नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी में या applied science में उनकी दिलचस्पी है। वह इसीलिए है कि उससे वह धन कमाए, रुपए कमाए। परन्तु, आज आवश्यकता है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे पानी। आज इतने सालों के बाद भी हम शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र भी है। नदियों के बारे में अभी एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि इतना सब करने के बावजूद हमारे देश में जो नदियां हैं, वे बराबर प्रदूषित होती चली जा रही हैं और उनकी सफाई का इंतजाम नहीं है। दवाओं के क्षेत्र में भी है। हमें सुन्दर बनाने, जवान बनाने के लिए, हमारी स्मरण शक्ति को तेज़ होने के लिए तो दवाएं हैं, परन्तु जो हमारे बुनियादी रोग हैं, जिस सामान्य बीमारियों से आम आदमी पीड़ित होता है, उन जैसे असाध्य रोगों के इलाज का इंतजाम नहीं हो पाता है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी रिसर्च पर ज़ोर देना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां सारी कोच में एक खामी यह रही है कि हमने उपभोग की आधुनिकता पर ज्यादा ज़ोर दिया। कैसे-कैसे अच्छे मकान बनें, अच्छे रहने के और हमारे भोग के नये-से-नये साधन मुहैया कराए जाएं, परन्तु जो उत्पादन की आधुनिकता है, उत्पादन के क्षेत्र में जो मॉडनिर्टी होनी चाहिए, वैसे मॉडर्न हम उत्पादन के क्षेत्र में नहीं हो पाए। उस बारे में अभी हमें यह बात पढ़ने को मिली है जहां पर यूरोप के देश, जो विकसित देश हैं, वहां पर मिलियन यानी 10 लाख में से 6 हजार, 7 हजार, 3 हजार या 4 हजार लोग अनुसंधान के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर उसके हिसाब से हिन्दुस्तान में डेढ़ सौ, पौने दो सौ या दो सौ के करीब हैं। इस तरह हम रिसर्च में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हम रिसर्च में दिलचस्पी जो नहीं ले रहे हैं, उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो साधनों का अभाव है। हमें जितना पैसा खर्च करना चाहिए, उतना पैसा हम नहीं खर्च कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि दिमागी तौर पर हमारी पराधीनता है...। महोदय, हम सोचते हैं कि रिसर्च करने से क्या फायदा, रुपया खर्च करेंगे और टैक्नॉलोजी बाहर से खरीद लेंगे। अगर बाहर से माल मिलेगा तो हमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अग्रवाल जी ने ठीक ही कहा कि हमारे यहां बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, talented लोग हैं। आखिर भारत के स्कॉलर्स ही तो सब जगह शोध के कामों में लगे हुए हैं। महोदय, मुझे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बुश साहब ने एक बार अमेरिका के छात्रों को संबोधित करते हुए

अपने भाषण में कहा था कि हमारे छात्रों को विज्ञान और गणित पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि नए ज्ञान की सही बुनियाद हैं, नए अनुसंधान की बुनियाद है। परंतु हमारे देश में विश्वविद्यालयों व विद्यालयों की जो हालत है, वहां विज्ञान की पढ़ाई का जो स्तर है और उसकी जो गुणवत्ता है, वह निरंतर घटती जा रही है। महोदय, न वहां प्रयोगशाला है और न वहीं टीचर्स हैं। बहुत सी जगह तो टीचर्स हैं ही नहीं क्योंकि वे रिटायर्ड हो गए तो उनकी नई भर्ती नहीं हो पा रही है।

दूसरी बड़ी भारी समस्या भाषा की है। महोदय, अपनी मातृभाषा में सृजनशीलता होती है। कोपरनिकस, गैलीलियो और बहुत से वैज्ञानिकों ने नए शोध किए, वे भाषा के मामले में गुलाम नहीं थे बल्कि स्वतंत्र थे। इसलिए भाषा के प्रश्न पर, वित्त पोषण व स्वायत्तता के प्रश्न के साथ-साथ हमारे वैज्ञानिकों व इंजीनियर्स को इज्जत भी मिलनी चाहिए।

महोदय, अंत में मैं केवल एक संस्मरण सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मुझे याद है एक बार मैं डा. लोहिया के साथ भारत सरकार के उस समय के इर्रिगेशन मिनिस्टर के.एल. राव से मिलने गया था। वहां डा. लोहिया ने श्री राव से कहा कि मैं भारत सरकार के इर्रिगेशन मिनिस्टर से मिलने नहीं आया हूं, मैं भारत के एक महान इंजीनियर से मिलने आया हूं। अगर इन वैज्ञानिकों व इंजीनियरों के प्रति हमारे मन में सम्मान का यही भाव रहेगा और उनके मुकाबले राजनीतिज्ञों, मंत्रियों, सेक्रेटरीज़ व दूसरे ऑफिसर्स के प्रति कम होगा तो हम समझते हैं कि हम अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने में हम सफल होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस विधेयक का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, let me congratulate the hon. Minister for introducing this Bill. I stand to support the Science and Engineering Research Board Bill. Through this legislation, we are going to promote research in science and engineering. We are going to provide funds to encourage research.

Sir, research programmes in our country are not very, strong. People who are engaged in research are working in the universities. They are working in institutes of higher learning. They are working in research labs too. They should be encouraged. .As a matter of fact, we have more than 300 universities in the country including deemed universities and most of the universities barring the Central Universities are affiliating universities. The affiliating universities in the country have spent most of their time and resources in managing the affairs of the affiliated colleges and the departments in the campus. They have very little time for research. Their main activity is teaching. In fact, research is secondary activity and that should be very important in the university campuses. I can understand that teaching is more important in affiliated colleges. But research should be the main activity, very important activity, in the campuses of our universities. The main hurdle is the affiliating system. The affiliating system of universities exists, by and large, in our country. In the advanced countries you don't have this kind of a system. All the universities are autonomous. Colleges are also autonomous. That is why they give a lot of importance to research. You know the historical example of "Land Grant Colleges and Universities" of America who gave land in the form of grants to colleges and universities only to carry research and the research was brought to the people. That is why there was no gap between the people and the research and the universities. Therefore, this particular attitude has to be adopted in our own country also.

During the colonial times, our universities could not pay much attention to research. Even after that we did not have the urge for research. That is why our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru,

had to establish the National Laboratories in the country. That is how teaching and research were bifurcated. I feel that teaching and research should go together, hand-in-hand, in the universities so that our students can get the benefit of research and new knowledge and knowledge has to be taken to the land from the lab.

Sir, we require fundamental research. You have rightly put basic research. I do find a distinction between basic research and applied research. Basic research goes to the fundamentals. It discovers the universal principles in nature and on the basis of which, of course, we go to other things and get developed. Take, for instance, Einstein's theory of relativity. It is basic research. On the basis of that we could accomplish many other things. That is why our emphasis should be on basic research. We have a great pool of talent in the country. Our students are faring well in America. They get funding and they get freedom also. We have to give both the things to our people. Funding is needed; along with funding, freedom is also needed. If this particular Board is going to be really autonomous, it should, be, autonomous in the real sense of the term. There should not be interference now and then in their own affairs. Therefore, this particular matter has to be understood in its entirety.

Sir, look to the universities. Students are not going for pure sciences today. The University Grants Commission is worried about the strength of the students taking subjects like physics and mathematics. They are worried and these are basic subjects. Therefore, basic research is an important thing in that particular field. We have to encourage. After 12th most of the students go and join professional course. Much of the talent goes in for professional courses and students do not come to the science stream. So, this also has to be remedied somewhere. In order to just promote research, we have to give incentives; we have to give scholarships; we have to give grants and all such things also.

As far as our own universities are concerned, it should be obligatory on their part to have research not only by individual scientists but also through projects. This is going to be the age of knowledge and we are aspiring to make our society a knowledge society. It is a knowledge-centred society. That is why research is very important. You cannot generate new knowledge unless you do research. Knowledge is always generated through research. This particular thing has to be understood. I do not have much to say about all this. But this Board should be autonomous. The University Grants Commission has been ignored, it seems. My earlier speaker talked about it. The University Grants Commission is managing more than 300 universities. That is why the Chairman of the University Grants Commission should be taken on this particular Board. Sir, this is the Board which is going to encourage and promote research in the field of engineering. AICTE also is a very important body. It is managing the affairs of engineering colleges. Therefore, the Chairman or some senior person of the AICTE should be a member of this particular Board.

I have another suggestion to make. You are going to have an Oversight Committee. We have national laboratories across the country. So some experts, one or two people, who are managing and administrating these national laboratories, should be taken on the Oversight Committee. It should look like an academic body. Though the name of the University Grants Commission is Grants Commission, it does not simply give grants, it has to manage academic affairs also. So this particular Board should have this particular function also, not only giving funds, but also framing policies of

research; what kind of research you need. There are many areas which you have not explored so far. For instance, solar energy. We have abundant sunlight in this country. If you can have a very big project and incentives and awards are given to our scientists, we can make great and tremendous progress in this particular field. You have come forward with a Bill which is going to create history in the field of research. Every industry must have its own research laboratory. It should be made compulsory. It is there in America, Germany and other countries where every industry has its own laboratory. Since it is a global age, industries are coming up in a free market economy. Therefore, every industry should have its own laboratory. Thank you.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। हम लोग बिहार से आते हैं और 1960, 1964, 1965 या 1970 तक जहां हम लोग पढ़ते थे, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज में laboratory होती थी। स्कूल में भी laboratory होती थी। लेकिन पिछले 10-15-20 वर्षो में लगता है कि वहां पर कोई काम नहीं होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे apparatus हैं, बहुत सारे रिसर्च के साधन बनाये गये हैं।

[**श्री उपसभापति** पीठासीन हुए।]

लेकिन वहां कोई function करने वाला नहीं है, कोई रिसर्च करने वाला नहीं है। उसमें न तो शिक्षक की कोई अभिरूचि है और न विद्यार्थियों में ही कोई अभिरूचि पैदा की जा रही है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जो बिल लाए हैं, इसकी बहुत उपयोगिता है और अगर इसका उपयोग सही ढंग से सही मायने में किया जाएगा ...(**व्यवधान**)... मैं यह कह रहा था कि हमारे तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे देश के लोग जो विदेश में जाते हैं, उनको नोबल पुरस्कार मिल जाते हैं, इसके उदाहरण हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां ऐसे रिसर्च के साधन नहीं हैं, ऐसी कोई बॉडी हमारे यहां नहीं है जो उनका खर्चा दे सके, उनको रिसर्च के साधन मुहैया करा सके। हमारे यहां जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना में एनआईटी है, उसको आपने सरकारी तौर पर केन्द्रीय एनआईटी बनाया है, वहां laboratory में जो यंत्रशाला है, उसमें जाल लगे हुए हैं। मतलब उसमें कोई जाता ही नहीं है। टाइम्स कॉलेज में जो रिसर्च की जगह है, उसमें कोई जाता नहीं है, सभी ऑपरेटस पुराने हो गए हैं। तो आपने सही मायने में यह बोर्ड बनाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि जो हमारे यहां बहुत सारे काम हैं, जिनके बारे में अनुसंधान हम लोग कर सकते हैं, अभी तिवारी जी ने कहा कि हमारे यहां 60 साल के बाद भी लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता, उसके बारे में क्या invention होगा, कई ऐसे शहर हैं, जहां महीनों नल का पानी नहीं मिलता है, उनके बारे में क्या invention होगा, बहुत से ऐसे रोग हैं, उनके बारे में क्या invention होगा। मैं आपको एक रोग बता रहा हूं, आप चांद पर जा रहे हैं, उस पर कितना काम हो रहा है, मगर एक रोग का आज तक कहीं उपाय नहीं निकला है - कहीं किसी को अगर कैंसर हो गया तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह मर गया। कैंसर हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। तो जब यह बोर्ड बनेगा और अगर आप इसमें साधन मुहैया कराएंगे तो जो हमारे डाक्टर लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, वे सही मायने में रिसर्च करेंगे और आने वाले दिनों में आपका या सरकार का सहयोग रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत खतरनाक डिसीज़ हैं, उनका भी अनुसंधान हम लोग करेंगे और उससे लोगों को राहत मिलेगी।

मैं आपसे एक अंतिम निवेदन यह करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जो साइंस की laboratories हैं, बच्चों के या विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए, उनका भी आधुनिकीकरण करने की जरूरत है, उनमें भी दिलचस्पी लेने की जरूरत है। UGC, जो ग्रांट देती है, उसमें उनको ऐसा कुछ उपाय निकालना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को रिसर्च का मौका मिले, इंजीनियरिंग करने वालों को रिसर्च का मौका मिले। यही मेरा आपसे निवेदन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक बहुत सुंदर और अच्छा बिल लाए हैं। धन्यवाद।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): उपसभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि अपेक्षित रिसर्च-अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ प्रयास करने के लिए माननीय मंत्री महोदय एक विधेयक लाए हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने उत्तर भी दिया था कि भारत को कब से नोबल प्राइज़ नहीं मिला है? उन्होंने उत्तर दिया था। मैंने यह भी पूछा था यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इस दिशा में और क्या प्रयास हो रहे हैं? हम सभी जानते हैं, हमारे रमन साहब, रामानुजम साहब और अनेक नाम आप जानते हैं, परन्तु उस दिशा में आपने पहल की है और बेसिक रिसर्च के लिए आप बोर्ड बनाने जा रहे हैं, आप सचमुच बधाई के पात्र हैं।

मेरे दूसरे साथियों ने जो बातें कही हैं, उन्हें मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं एक-दो उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं मूलतः एक इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और काम से भी मैं एक इंजीनियर हूं। चूंकि मैं भारत सरकार के एक संस्थान में काम करता था, इसलिए मुझे रूस जाने का अवसर मिला था। वहां पर जब प्रथम यात्री अंतरिक्ष में गया था, आपको श्री यूरी गागारिन का नाम याद होगा, जब वह अंतरिक्ष में जा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस की और लोगों ने उनसे पूछा कि आप अंतरिक्ष में जाने के लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने यह कहा था कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रहस्य क्या है, इसका आधार क्या है, इत्यादि। मैं तब वहां यह सोच रहा था कि आज पश्चिम के वैज्ञानिक इतने प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं, जो हमारे ऋषियों ने श्वेताश्वतर उपनिषद में पूछे हैं, उत्तर की बात तो आप छोड़ दीजिए, उत्तर तक तो जा ही नहीं सकेंगे। अभी जो बड़ा big bang हुआ, हम सब जानते हैं, वह मामला अभी रुका हुआ है, उनका कोई एक apparatus काम नहीं कर रहा है, वह big bang क्या है, यह हम जानना चाह रहे हैं, सृष्टि का रहस्य क्या है, यह हम जानना चाह रहे हैं।

उपसभापति जी, यह मेरा सौभाग्य है कि जब आप रहते हैं, तो कभी-कभी मुझे आखिर में बोलने का अवसर मिल जाता है। मुझे याद आ रहा था कि मैं तो इंजीनियर हूं, लेकिन भगवान की कृपा है, किसी सत्संग के कारण, मेरे माता-पिता के कारण भी मेरी संस्कृत में रुचि है, हालांकि मैं इसे पढ़ नहीं सका हूं, क्योंकि अंग्रेजों के समय में गणित के साथ हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, आप इसमें सुधार लाइएगा। स्कूलों में यह हाल था कि हम गणित और संस्कृत एक साथ नहीं पढ़ सकते थे। मुझे एक श्लोक याद आया, यह श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, खाली भौतिक विज्ञान की बात नहीं है, भारत से विश्व किस बात की आशा करता है? हमने "ज्ञान-विज्ञानं आस्तिक्यं" कहा है। हम सृष्टि के रहस्य को सुख-दुख के कारण के विज्ञान को जानने का शोध हमारे यहां किया गया था और उस उपनिषद का एकाध श्लोक मैं आपसे कहना चाहता हूं - "किम् कारणं ब्रह्मः, कुतस्म जातः, जीवन केन् क्व चं संप्रतिष्ठा?" यह प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर हमारे यहां योग और ध्यान में मिलता है। आज यहां स्वास्थ्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझसे कहा था कि हां, योग की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने जो सारी सूची बनाई है, जिन लोगों को आप बोर्ड में रखने जा रहे हैं, आप ऐसे संस्थानों के लोगों को भी बोर्ड में जोड़िए, जो प्राचीन भारत के वांगमय पर दृष्टि डालेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, वे संस्कृत नहीं जानते, जो संस्कृत जानते हैं, वे कंप्यूटर नहीं जानते और आपको आश्चर्य होगा, आपको पता है, दुनिया भर के कंप्यूटर जानने वालों ने यह कहा कि कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक अच्छी भाषा, वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। मैं

तिवारी जी का आभारी हूं कि उन्होंने भाषा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो संस्कृत वांगमय में इतनी सारी चीजें हैं, कृपा करके आप जो बोर्ड बना रहे हैं, उसमें आप ऐसी संस्थाओं के लोगों को भी जोड़िएगा, तो संस्कृत साहित्य में हो रहे शोध में भी आपकी सहायता कर सकें।

उपसभापति जी, मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक छंद कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने इस प्राचीन धरोहर पर बोलते हुए कहा था कि -

"**वेद-वेद के मंत्र-मंत्र में,**
मंत्र-मंत्र के अक्षर स्वर में,
ब्रह्मज्ञान आलोक प्रदीपित,
सत्यं शिवं सुन्दरम शोभित।
कपिल कणाद और जैमिनी की,
स्वानुभूति का अमर प्रकाशन,
विषद विवेचन प्रत्यालोचन,
ब्रह्म जगत माया का दर्शन।"

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, is it science and technology or something else. ...*(Interruptions)*...

श्री श्रीगोपाल व्यास: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में जो लोग लगे हैं, कृपा करके उनको भी इस शोध संस्थान से जोड़िए, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I am very happy that across this House there is a unanimity of opinion that this is a piece of legislation that ought to be supported. I am grateful to each Member of this House for having got up and given his support for this particular Bill. I am also grateful that at last we have had a debate on an issue relating to science and technology, something that I had been waiting for a long time, which has enabled the hon. Members of this House to express their opinion on aspects of science and technology which necessarily may not have a direct link to the Bill that I have introduced. But, since they have expressed their opinion, I do wish to, very briefly, give a broad picture of where we stand as a country and what we need to do as we move forward.

Sir, I just want to mention—and this is something that has been touched upon by several Members of this House – that not enough money is invested in research and development. I just want to mention the fact that in a country like the U.S.A., on an annual basis, the amount of money for research and development is in the range of 340 billion dollars. In a small country like the U.K., it is 43 billion dollars. In Germany, it is 73 billion dollars. In Japan, it is almost 150 billion dollars. In China, it is about 40 billion dollars. In India, it is only about 8 billion dollars. Now, if this is the kind of investment that the nation makes in research and development, then what is your expectation of the scientific community? And, how do you expect the scientific community to deliver? So, it is not a question of who is in power and who is out of power; I think, it is about time that this nation decided

upon its priority. The other day, a very unfortunate event happened in Mumbai and the nation, in one voice, got up and said that the national security is our priority and rightly so, because, unless a nation is secure, it cannot move forward. Therefore, we all decided that no matter what it takes, it is important to invest in our security systems to ensure that no member of the public is left insecure and no matter how much money it takes, it really does not matter. But, that kind of a sense of urgency has not yet crept into the investments in education and science and technology. मैं मानता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान में हम एक होकर यह तय नहीं करेंगे कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी देश की सुरक्षा है, तब तक हिन्दुस्तान कभी महान देश नहीं बन सकता है। बुनियादी तौर पर अगर हिन्दुस्तान को हमें महान बनाना है, तो हमें आर एण्ड डी में खर्च करना होगा। बुनियादी तौर पर हमारे देश को यह फैसला करना होगा कि हिन्दुस्तान के लिए सुरक्षा और शिक्षा, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमें दोनों को एक समान देखना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको आंकड़े तो दे ही दिए थे, जहां तक आर एण्ड डी per million की बात है, जो मैंने शुरुआत में भी दिए थे, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। वह यह है कि जो बाकी देश हैं और वहां जो PhDs हैं, अगर उनकी संख्या हिन्दुस्तान के साथ compare करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं। यूएसए में हर साल करीब 35 हजार और चीन में 40 हजार PhDs produce होते हैं, जबकि हिन्दुस्तान में हर साल मात्र 8420 PhDs ही produce होते हैं। कितना भारी अंतर है। और जब शिक्षा के बारे में इस देश में सवाल उठते हैं, जब शिक्षा के क्षेत्र में - जो हमारी universities हैं, उनकी स्वायत्तता की बात उठाती है - तो कभी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। इसको कितना मिला, उसको कितना नहीं मिला, इतना होना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए, उसी बहस में जो मूल बात है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की, वह खत्म हो जाती है। जब तक हम इस क्षेत्र में राजनीतिक विवाद से उठकर एक राष्ट्रीय नीति के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक, जिस बात पर आज हम सदन में बहस कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस सैशन में तो नहीं, लेकिन जब कभी भी अगला सैशन हो, आपको एक दिन Science and Technology और शिक्षा के ऊपर विचार करना चाहिए, ताकि एकमत होकर सदन में एक नीति बने, राष्ट्रीय नीति बने कि आगे के वर्षों में हमें क्या करना है और क्या जरूरतें हैं।

महोदय, कई और बातें कही गईं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जब मैं यह विधेयक लाया था, तो मैंने इस बारे में, जो मेरी सोच थी - वह कई वर्षों पहले मैंने तय किया था कि वह विधेयक हम लाएंगे और जब मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था, नौकरशाही की बात कर रहा था, तो मैं उस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था कि जब एक proposal सामने आता है, तो एक फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा उसको आगे बढ़ना पड़ता है। जब फाइनेंस में जाता है, तो उसमें कई सैक्शन्स लेनी पड़ती हैं। मैं ऐसी आम ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार जिन नीतियों से आगे चलती है, जिन ब्यूरोक्रेटिक रूल्स से आगे चलती है, उसी को जब हम अपनाते हैं, तो उसमें फिर विलंब आता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि उस ब्यूरोक्रेसी से मैं छूटकारा पाना चाहता हूं। मतलब हमारे मंत्रालय में जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म लागू होते हैं, उनसे मैं छूटकारा पाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने यह तय किया कि इस विधेयक के द्वारा हम एक इंडिपेंडेंट बोर्ड का गठन करेंगे, ताकि जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमें follow करने पड़ते हैं, वे follow न करने पड़ें। इस संदर्भ में मैंने यह फैसला किया और इसी संदर्भ में हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि इस विधेयक को हम आगे लाएंगे।

महोदय, माननीय अग्रवाल जी अभी यहां नहीं हैं, उन्होंने यह बात उठाई कि आपने इसमें केवल दो सौ करोड़ की राशि रखी है। बात असल में यह नहीं है, हमारे पास राशि की कोई प्राब्लम नहीं है। अभी साल का अंत आने वाला है, इसलिए हमने कहा कि आप दो सौ करोड़ से शुरू कीजिए और राशि की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आश्वासन देना

चाहता हूं कि जहां तक राशि का सवाल होगा, इसमें हमारी ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठेगा कि बोर्ड का गठन नहीं हो पाया या बोर्ड आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि राशि कम है - तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें हमारी मिनिस्ट्री को 11,000 करोड़ मिला है, तो कोई दिक्कम की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि समुद्र में बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग हो सकता है। वह बात सही भी है और उस संदर्भ में आप काफी कुछ काम भी कर रहे हैं। इस चर्चा में उसको साथ लगाना कोई जरूरतमंद मैं नहीं समझता, लेकिन केवल इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने समुद्र की बात कही, तो हम poly metallic nodules समुद्र से भी ले रहे हैं और वह साइंटिफिक रिसर्च चल रही है और मैं समझता हूं कि उस साइंटिफिक रिसर्च में विश्व में हम लगभग सबसे आगे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सी.एन.आर. राव साहब ने 2005 में कहा था कि इसका गठन किया जाए और आपने इसका गठन नहीं किया, आपको तीन साल लग गए। मैं उनको बताना चाहता था कि हमने विधेयक 2006 में ही तैयार कर लिया था, लेकिन फिर वही बात Committee of Secretaries के पास गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे तरीके से करना चाहिए। फिर दोबारा हमारे पास आया, दोबारा विधेयक बनाना पड़ा। फिर वही नौकरशाही की बातें।

फिर हमने इसी साल जुलाई में पेश करना चाहा लेकिन ऐसा कुछ वातावरण बना कि हाउस ही नहीं बैठा। उसके बाद हमें इसे अक्टूबर में आपके पास लाना पड़ा। इसलिए विलम्ब का कारण हम नहीं है। हमने चाहा कि जल्द से जल्द हम इसको पारित करें। फिर उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारी कम्पनीज़ हैं, वे बेसिक रिसर्च के लिए कुछ नहीं कर पातीं। वह बात सही है। अभी आपने आंकड़े बताए कि हिन्दुस्तान में जो हमारा R&D in proportion to GDP है, वह केवल 0.8 प्रतिशत है। उसमें 0.7 प्रतिशत public spending है, यानी सरकार की ओर से होता है। केवल 0.1 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में है। अगर आप विश्व के आंकड़े देखें तो जो जीडीपी का प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडीचर है, चाहे कहीं भी हो - यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो - बाकी देशों में 65 से 70 प्रतिशत R&D प्राइवेट सेक्टर करता है। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा और यहां तक कि चीन में भी 65 से 70 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर करता है, लेकिन हिन्दुस्तान में केवल 26 प्रतिशत है। जब तक इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, जब तक इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं आएगा तो रिसर्च नहीं करेंगे। आज के दिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है। आज के दिन बायो-टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है क्योंकि बायो-टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है। आज के दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है क्योंकि आटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। जब तक इकनॉमिक ग्रोथ 9 प्रतिशत आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक हम प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उनको मुनाफा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक कोई R&D में इन्वेस्ट नहीं करेगा, खासकर बेसिक रिसर्च में कोई नहीं करेगा। अप्लाइड रिसर्च में तो करेंगे क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में उन्हें मुनाफा दिखाई देता है। बेसिक रिसर्च बाय एंड लार्ज सरकार ही करती है और सरकार को ही करना चाहिए, यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। फिर उन्होंने कहा कि जो पैसा आपको मिलता है, आप खर्च ही नहीं करते। यह बिल्कुल गलत है। पिछले तीन साल में जितना भी पैसा एसईआरसी को मिला, सारा खर्च हुआ। एक पैसा भी नहीं बचा। यह अपने आपमें गलत है कि हम केवल बीस प्रतिशत खर्च करते हैं। गिरीश जी ने भी कई मुद्दे हमारे सामने रखे और कहा कि यह एसईआरसी क्या है, इसका रोल क्या होगा? एसईआरसी तो खत्म हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हमने बोर्ड का गठन कर दिया तो एसईआरसी का कोई रोल नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें वैल्यू ऐडीशन करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। यह सब बिल्कुल सही है, इसलिए हमने बेसिक R&D में इस विधेयक द्वारा बढ़ावा देने की कोशिश की है। पिल्लै साहब ने बहुत सी बातें हमारे सामने रखीं कि किस तरह से हमें बोर्ड का कम्पोज़िशन सही करना चाहिए। मैं इस संबंध में केवल एक बात बताना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि जो बोर्ड की कम्पोज़िशन है, यह नौकरशाही से भरी हुई है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें जो सारे जो

सेक्रेटरीज़ हैं, ये स्वयं बहुत बड़े साइंटिस्ट्स हैं। हमारे मंत्रालय में ऐसा नहीं है कि आईएएस आकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी बन जाता है। जो हमारे सभी सेक्रेटरीज़ हैं, चाहे बायो-टेक्नोलॉजी में हों, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, चाहे सीएसआईआर में हों, वे अपने आपमें देश के महान वैज्ञानिक हैं और उनकी मान्यता है। इसलिए इसमें नौकरशाही की कोई बात नहीं है। इनको साइंस का सब मालूम है और ये जानते हैं कि साइंस कैसे करना है और कैसे पैसे का उपयोग करना है, इसीलिए हमने उनको यहां रखा है। एक और बात है, अगर सरकार प्राइवेट बॉडी को पैसा दे दे तो वह मंजूर नहीं होगा, वह हो ही नहीं सकता क्योंकि यह पैसा सरकारी पैसा है। सरकार को ध्यान देना होगा कि जो भी हम बोर्ड बनाएंगे, उसमें सरकारी लोग रहने चाहिए। लेकिन ये वैसे सरकारी लोग नहीं हैं, ये खुद वैज्ञानिक लोग हैं। You will not find that you will have the Secretary of Science and Technology; Secretary of Bio-technology; Secretary, Department of CSIR; Secretary, Earth Sciences और साथ ही साथ Secretary, Department of Expenditure. इसलिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस इस बोर्ड से होगी। जब सिंगल विंडो क्लीयरेंस होगी तो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो डिलेज़ होती हैं, वे खत्म हो जाएंगी। यही हमने प्रयास किया है। साथ-साथ हमने इसमें एच, आई, जे में प्रावधान रखा हुआ है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट कर सकते हैं जो एमिनेंट लोग हैं, जो एकाडमिक इंस्टीट्यूशन से आए हैं, यानी कोई यू.जी.सी. से हुआ या कोई यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर हुआ, जो अपने आप में बड़े भारी वैज्ञानिक हैं। उनको हम यहां इसी बोर्ड में शामिल कर सकते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। साथ-साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी अधिकार है कि जो हमारी रिसर्च लेबोरेट्री हैं उनमें जो खास-खास लोग हैं, उनको भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं और फिर जो इण्डस्ट्री में खास-खास एक्सपीरिएंस्ड वैज्ञानिक लोग हैं जो हमें इसमें हमारा साथ दे सकते हैं, उनको भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। तो हर किस्म का रिप्रजेंटेशन है सरकार की ओर से, वैज्ञानिक लोग, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक लोग, रिसर्च लेबोरेट्रीज के लोग, इण्डस्ट्री के लोग, तो सभी लोगों का यहां रिप्रजेंटेशन है। हमने इस नज़रिए से बनाया है कि बोर्ड का ब्रोड रिप्रजेंटेशन होना चाहिए, ताकि जो फंडिंग मकेनिज्म है वह पूरी सलाह के साथ चले और एक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। फिर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो ओवर साइट कमेटी बनाई है उसमें यूनिवर्सिटी के लोग नहीं रखे। हमने यूनिवर्सिटी के लोग बोर्ड में रखे हैं, तो वहां रखने की जरूरत नहीं है। वहां हमने जो ओवर साइट कमेटी बनाई है, वहां हमने कहा है कि the scientists of eminence of international repute. मतलब, कि हम ग्लोबल कम्युनिटी से भी साइंटिस्ट ला सकते हैं। हमारे कई एन.आर.आईज. हैं जो हिन्दुस्तान के भारी वैज्ञानिक लोग हैं, जो बाहर काम करते हैं। वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आएं तथा हिन्दुस्तान की इक्कीसवीं सदी की जो कहानी आगे बढ़ रही है, उसमें वे भाग लें, हिस्सा लें, उनका हिस्सा बनें। तो उनको भी यहां लाकर चेयरमेन बना सकते हैं। फिर उसमें President of the Indian National Sciences Academy and Indian National Academy of Engineering वे भी ओवर साइट कमेटी के मेंबर होंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें डिस्टिंग्वुइश साइंस एंड टेक्नॉलोजी के लोग भी शामिल कर सकती है। मतलब कि हर तरफ से चाहे वह ओवर साइट कमेटी हो, चाहे वह हमारा बोर्ड हो, दोनों तरफ से हमारी ब्रोड रिप्रजेंटेशन रहेगी और हम नहीं चाहते थे और यही हमारी सोच थी कि इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं आएं और हमने इस विधेयक की ओर से उन सबको खत्म करने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं नहीं समझता जैसे पिल्लै साहब ने कहा कि हमें कोई टू टियर सिस्टम बनाना चाहिए और स्टेट का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए। यह केवल जो राशि साइंस एंड टेक्नॉलोजी मिनिस्ट्री को एस.ई.आर.सी. द्वारा मिलती थी, वह राशि अब बोर्ड को मिलेगी। इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। तिवारी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें रखीं और मैंने कोशिश की है कि आपकी बातों का जवाब दे दूं। मैं समझता हूं कि जितना हो सकता था मैंने जवाब दिया है। बाकी आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो प्रोफिट की बात है वह केवल कम्पनीज़ कर सकती हैं उनको बेसिक रिसर्च से कोई लेना-देना नहीं है। हम वह करना चाहते हैं। जहां तक क्लीन वाटर, हैल्थ एंवॉयरमेंट और बाकी बातें हमारे सामने रखी हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूं, दो-चार घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और मैं समझूंगा कि अगली बार सदन में जब ऐसा मौका मुझे मिलेगा, तो इस बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका इस विधेयक के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है। वाघमरे साहब ने भी बड़ी-बड़ी अच्छी बातें रखीं और यूरी गैग्रीन की भी बातें हुईं और यूरी गैग्रीन हमारे हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा करके, चांद पर शायद कुछ वर्षों में पहुंचेंगे।

मैं एक छोटी बात रखना चाहता था कि जनता को, देश को यह जानकारी नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक लोग किन कठिनाइयों में इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह जानकारी नहीं है। उनके ऊपर कितनी पाबंदियां हैं, स्वायत्तता खत्म हो गई, रिसर्च में जो पैसा मिलना चाहिए था अब शायद थोड़ा ज्यादा मिलता है, नहीं मिलता था। इन कठिनाइयों को सामने रखते हुए उन्होंने हिन्दुस्तान को इस गति से साइंस एंड टेक्नॉलोजी में आगे बढ़ाया है कि एक बिलियन डॉलर के साथ में, मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत-बहुत बड़ी बात है। यह उनको श्रेय जाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे सामने अच्छी बातें रखी और मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मौका दिया।

SHRI GIRISH KUMAR SANGHI: ये जो "Services of personnel, 'both within and outside the country as consultants, visiting scientists, at such terms and conditions, remunerations, as may be specified in the regulation made by the Board shall facilitate their operation within the country." मेरी दरख्वास्त यह है कि ये जो भी consultant लेंगे, outside the country, वह preferably हिन्दुस्तानी origin के हों, तो ज्यादा बैटर रहेगा।

श्री उपसभापति: बताया है कि एनआरआई का ...(**व्यवधान**)...

श्री गिरीश कुमार सांगी: क्लेरिटी नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल: देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि कोई साइंटिस्ट किसी देश का नहीं होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गिरीश कुमार सांगी: सर, मैं 'प्रेफरेबली' बोल रहा हूं।

श्री कपिल सिब्बल: वह हिन्दुस्तानी सबसे अहम होगा, हिन्दुस्तानी को रखेंगे, ...(**व्यवधान**)... हम यह नहीं कहते। ...(**व्यवधान**)... यह कहना कि आप किसी और को नहीं रखेंगे, मैं यह बात नहीं मानता। ...(**व्यवधान**)...

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Sir, I have used the word 'preferably'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has been said.

श्री गिरीश कुमार सांगी: सर, एक बात और है, Providing money is one thing, and utilizing it efficiently and effectively is the most important thing.

SHRI KAPIL SIBAL: No; no, we will take care of that. That is the whole purpose of the Oversight Committee.

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Time is the essence, Sir.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, time is the essence. Absolutely.

PROF. P. J. KURIEN: Hon. Minister, this has to be an autonomous body to promote science research in the country. And, the Government is appointing expert scientists, and even bureaucrats, as you said, are there. So, should there be a clause in this Bill that the Government can direct this Board for policy matters.

SHRI KAPIL SIBAL: There is already a clause in the Bill. But I really would not like the Government to start a scientific organization.

PROF. P. J. KURIEN: Then, why that clause is there.

SHRI KAPIL SIBAL: That clause is not for directing research. Please read the clause carefully. It is not for directing research. Supposing the Government says that atomic energy is an area where we want to move forward quickly, the Government can request. ...*(Interruptions)*...

PROF. P. J. KURIEN: Some ambiguity is there.

SHRI KAPIL SIBAL: No; no, there is no ambiguity. This is a clause which is there in every statute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the constitution of a Board for promoting basic research in Science and Engineering to provide financial assistance to persons engaged in such research, academic institutions, research and development laboratories, industrial concerns and other agencies for such research and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration.

Clauses 2 to 22 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Bill, 2008.

———————

The Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Bill, 2008

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): Sir, the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh is an autonomous institution by an Act of Parliament. It is a centre of excellence in the medical services, medical research. It is a very simple amendment. The only amendment that we are requesting is that the institution has medical degrees. It also has a dental college and a nursing college. Earlier, the medical degrees were recognized by the institution. But, unfortunately, the dental and the nursing degrees were left out. Then, this was recognized by the Punjab University. So, what we are requesting to this august House is to recognize both these courses, the dental as well as the nursing, also. Please take into consideration this request.

The question was proposed.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): माननीय उपसभापति जी, अभी मंत्री जी यह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, चंडीगढ़ (अमेंडमेंट) बिल, 2008 ला रहे हैं। इस बिल पर हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन मैं दो-तीन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस बिल में पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है और डेंटल और पर्टिकुलर नर्सिंग के बारे में भी कुछ बातें आप इस बिल में लाए हैं। एक्चुअली डेंटल में इस साल अभी तक चार हजार सीटें खाली हैं, यानी कि जितने डेंटल डॉक्टर्स देश को चाहिए, इससे ज्यादा हैं और अभी भी चार हजार सीटें भरी नहीं गई हैं। मैं डेंटल की पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों को आपके ध्यान में लाने के लिए यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आप चंडीगढ़ में MBBS के कॉलेज चालू नहीं कर रहे हैं और उससे ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज चालू कर रहे हैं। वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1500 बैड का होस्पिटल भी है। वहां पर इतने बैड होने से